न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 63/2022

आरसीएमएस नं. 2022/63

राम सिंह पुत्र स्व.श्री रामरख आयु 83 वर्ष जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

—अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलैक्टर, हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 24 राजस्थान जमींदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांक 11.01.2022
द्वारा अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़
अनवान "रामरख (मृतक) राम सिंह बनाम स्टेट", प्र. सं. 1/2017
उपस्थितिः—

श्री, लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री रविन्द्र भोभिया अभिभाषक रेस्पोडेंट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज)

निर्णय   दिनांक 27.6.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता रामरख पुत्र मोहरूराम जाति जाट निवासी डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ के पास 255 बीघा नहरी आराजी चक कच्ची डबली तहसील टिब्बी में थी। राजस्थान जमींदारी व बिश्वेदारी उन्मूलन एक्ट 1959 प्रभाव में आने पर समस्त आराजी खुदकाश्त नहीं होने से राज्य सरकार में निहित हो गई। अपीलांट रामरख भूमिहीन हो गया लेकिन इस अधिनियम की धारा 10 व 13 में ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को 50 बीघा नहरी भूमि आवंटन करने का प्रावधान भी कर दिया गया। इसी प्रावधान के अनुसार अपीलांट रामरख ने दिनांक 14.01.60 को जिलाधीश श्रीगंगानगर [illegible] नहरी भूमि उसको आवंटन करने की गुजाईश की। जिलाधीश श्रीगंगानगर [illegible] 21.03.72 को अपीलांट रामरख को 50 बीघा नहरी भूमि आव[illegible] हकदार मानते हुए तहसील हनुमानगढ़ व टिब्बी से खाली जमीन की स्थिति [illegible] गई। इस आदेश की क्रियान्विती आज तक नहीं हुई। तत्पश्चात् [illegible] प.20(35)राज/उ[illegible] दिनांक 27.06.81 की प्रति पेश कर प्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत 50 बीघा आवंटन हेतु पुनः निवेदन किया। इसी अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रभाव में आने के अर्थात दिनांक 15.11.59 के 6 माह के अन्दर आवंटन हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आवेदन पत्र पेश किया जाना चाहिए। प्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी ने तो इस प्रयोजनार्थ दिनांक 14.01.60 को ही प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जो अन्दर मियाद था लेकिन इसे दाखिल दफ्तर कर दिया। मियाद बिन्दु के सम्बंध में मार्गदर्शन हेतु प्रकरण दिनांक 06.05.84 को राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया गया। राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 28.04.84 के द्वारा यह आदेश दिया कि मियाद बिन्दु पर स्वयं जाकर प्रकरण निपटावे। दिनांक 12.06.85 को डिप्टी कलक्टर जमींदारी बिश्वेदारी श्रीगंगानगर ने प्रार्थी के पक्ष में 50 बीघा भूमि आवंटन के पूर्व के आदेश को सही माना व तहसील हनुमानगढ़/टिब्बी से खाली भूमि की तजबीज मंगवाने का आदेश दिया। पिछले काफी वर्षो से यह प्रकरण लम्बित है। प्रार्थी रामरख द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर 50 बीघा भूमि आवंटन करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.07.1996 पारित करते हुए प्रकरण की कार्यवाही समाप्त कर दी जिसके विरूद्व अपीलांट के पिता रामरख ने इस न्यायालय में अपील संख्या 144/96 प्रस्तुत की। इस न्यायालय द्वारा अपीलांट रामरख की अपील दिनांक 20.12.1996 को स्वीकार करते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली रिमांड होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन कर दिनांक 11.01.2022 को आदेश पारित किया कि जमींदारी व बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 13 के श्रेणी 05 के तहत भूमि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जिले से बाहर की जा सकती है। प्रस्तावित भूमि तहसील नाचना जिला जैसलमेर की है जो कि अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के क्षेत्राधिकार में नहीं है अतः प्रार्थी आवंटन हेतु राज्य सरकार के स्तर पर निवेदन करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 11.01.2022 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 13(1) (v) के अन्तर्गत भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट के राज्य सरकार के स्तर पर निवेदन करने का आदेश पत्रावली में पूर्व में पारित आदेश दिनांक 30.07.96 जो इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 144/96 में पारित आदेश दिनांक 20.12.1996 के अन्तर्गत अपास्त कर दिये जाने के बावजूद उसी अवधारणा को लेकर पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 30.07.1996 में अपीलांट को भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार से निवेदन करने के आदेश को अपास्त कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2022 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित उक्त निर्णय को नजरअंदाज किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि अपीलांट की भूमि तहसील टिब्बी में अधिग्रहण हुई तथा उसे अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत खुदकाश्त के रूप में भूमि आवंटन करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ही है। धारा 13 (1) के अन्तर्गत यह प्रावधान नहीं है कि धारा 13 (1) (v) की श्रेणी की भूमि का आवंटन करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। उक्त धारा 13(1) के अन्तर्गत किसी भी श्रेणी में आने वाली भूमि का आवंटन करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को ही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत उपनिवेशन विभाग की भूमि आवंटन करने का क्षेत्राधिकार नहीं होना बताकर प्रकरण गलत रूप से पारित की है जो अपास्त की जावे तथा यह भी निवेदन किया कि उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर के पत्र कमांक एफ.5(सी)(4)बिश्वेदार/उपनि/90/बी–6453 दिनांक 01.09.98 में अधीनस्थ न्यायालय को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3(138)उप/91 दिनांक 27.03.92 से बिश्वेदारों को भूमि आवंटन करने हेतु आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसकी चित्रप्रति का इसमें अंकित वर्तमान राजकीय भूमि की सूची की प्रति नियमानुसार बिश्वेदारों को भूमि का आवंटन करने हेतु भिजवाई जा रही है। अतः इस सम्बंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय अपने स्तर पर करे। अपीलांट ने अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि राज्य सरकार के उक्त स्पष्ट आदेश की पालना में चक 13 एमडीएम तहसील नाचना की उपरोक्त भूमि का अंतिम रूप से आवंटन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में इस भूमि को आवंटित करने की अधिकारिता नहीं होने की अवधारणा पारित की है जो गलत है। अधिनियम 1959 की धारा 11 के अन्तर्गत खुद काश्त के रूप में आवंटन का अधिकार कलैक्टर को ही होने का उल्लेख है। अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत धारा 11 के अन्तर्गत आवंटन योग्य भूमि की कुल 5 श्रेणीयों का उल्लेख किया गया है लेकिन इस धारा में श्रेणी (v) के अन्तर्गत भूमि के आवंटन के सम्बंध में कलैक्टर के अलावा किसी अन्य सक्षम अधिकारी को आवंटन करने की अधिकारिता का उल्लेख नहीं है तथा दफा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की मियाद एक माह की है लेकिन अपीलांट के वृद्व व्यक्ति एवं बीमार होने के कारण तथा कोविड 19 महामारी के कारण दिनांक 28.02.2022 तक की अवधि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार मियाद अवधि से अपवर्जित करने का निवेदन करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने का निवेदन किया अन्त में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर विवादरहित कृषि भूमि चक 13 एमडीएम का आवंटन अपीलांट के पक्ष में किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे। अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1989 पेज 404, आरआरडी 1975 पेज 280 प्रस्तुत किये।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि 13 एमडीएम की भूमि जैसलमेर जिला की है तथा उक्त भूमि के आवंटन का क्षेत्राधिकार उपनिवेशन विभाग को होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित किया है तथा इस आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है व अपीलांट ने दफा–5 मियाद अधिनियम में कोई संतोषजनक कारण प्रकट नहीं किया है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.01.2022 के विरूद्व यह अपील दिनांक 07.03.2022 को पेश की है। अपीलांट ने विलम्ब का कारण अपीलांट की वृद्वावस्था व बीमारी होना बताया है तथा इसके सम्बंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कोविड–19 महामारी के कारण दिनांक 28.02.2022 तक की अवधि को मियाद अवधि से वर्जित करने के निर्देश हैं। न्यायहित में अपीलांट का दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है

Signature Not Verified
Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:13 IST
Reason: SelfAttested

7. पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.1996 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई थी जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.1996 को पारित किया गया। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रतिप्रेषित करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हुए यह निर्देश दिये गये थे कि क्षेत्र के तहसीलदारों से खाली भूमि की सूचना प्राथमिकता के आधार पर मंगवाई जाकर अपीलांट को पूर्व सहमत व स्वीकार्य 50 बीघा नहरी भूमि का आवंटन करें एवं यदि जिले में भूमि उपलब्ध नहीं है तो अधिनियम 1959 की धारा 13 के तहत आवंटन की कार्यवाही की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इस हद तक अपास्त किया कि "वह राज्य सरकार से भूमि आवंटन हेतु निवेदन करे।" अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2022 में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तावित भूमि तहसील नाचना जिला जैसलमेर की होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने व अपीलांट को उक्त भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार से निवेदन करने की विवेचना करते हुए आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कि "प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह भूमि आवंटन हेतु वह राज्य सरकार के स्तर पर निवेदन करे।" अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.1996 के अनुसरण में निर्णय पारित नही किया है इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त होने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20.12.1996 के अनुसरण में विधिनुसार निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.6.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Leave 27/6/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:11:13 IST
Reason: SelfAttested